रु. 20 कोर्ट फीस COURT FEE रु. 20
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

126

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

R - 1541-II/12

मन्सूर खां पिता स्व श्री नसीर खान
सा. मोह. धाम पन्ना तह. व जिला पन्ना म.प्र. **आवेदक**

विरूद्व

म.प्र. शासन **अनावेदक**

श्री अजय श्रीवास्तव
अभि. द्वारा दि 8.5.12
को [illegible]
[illegible]

29
8-5-12

23/5/12

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.संहिता (संशोधन अधिनियम) 2011 के तहत

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक /88/निगरानी वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 के निर्देशानुसार एवं संशोधन अधिनियम 11 के तहत यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारो पर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टायी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही निरस्तनीय है।
2. यह कि प्रकरण का सार इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पन्ना के न्यायालय के रा. प्रकरण कमांक 49/अ-19 (क) वर्ष 1992-93 में पारित आदेश दिनांक 30.03.1993 के द्वारा निगरानीकर्ता को ग्राम पन्ना स्थित आ.नं. 56 रकवा 2.00 हे. भूमि को दखल रहित अधि. के प्रावधानों के अनुसार कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व का पट्टा प्रदान किया गया था तभी से विधिवत निगरानीकर्ता उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जो कि वर्ष 2010 तक आवेदक के नाम पर विधिवत दर्ज चली आ रही थी किन्तु वर्ष 2010 के बाद जब आवेदक तहसील पन्ना

AJAY SHRIVASTAVA, ADVOCATE
TIWARI HILLS SAGAR

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1541 II/12 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2—मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर जिला पन्ना म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 38स्व. निग./09—10 मे पारित आदेश दिनांक 16/11/2010 के विरूद्व (कलेक्टर पन्ना के प्रेषित पत्र दिनांक 25.6.2011 के परिपालन में) म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम पन्ना की भूमि आ. नं0 56 रकवा 2.00 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्र. क. 49/अ—19(ब)/1992—93 में आदेश दिनांक 30/09/1993 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए तहसीलदार पन्ना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2005 की पुष्टि बिना किसी विधिक आधार के की गई है । जिसमें भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है जिसकी अधिकारता तहसीलदार पन्ना को नही थी । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग	

[कृ. प. उ.

R 1541. II/12 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

15–20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1993 में किया गया है। तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा वर्ष 2005 में प्रश्नाधीन भूमि शासन के नाम दर्ज की है जिसकी उन्हे अधिकारिता नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर पन्ना एवं तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/11/2010 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/06/2005 निरस्त करते हुये तहसीलदार पन्ना का आदेश दिनांक 30.9.1993 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य